

FORM No. III

### फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत

मुकाम

किस्त मुकदमा

उपम 217

बनाम

नं

21/3/12

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

21/3/12

वकील सामल ने उपस्थित होकर एक प्रा  
पत्र धारा 212 RT एक्ट का पेश किया है।  
सेलमन राजत्व रिकार्ड का अवलोकन किया  
गया।

प्रथम दृष्टया केस नारी सामल के एक  
में कथित आता है कि अप्राप्यगण के विरुद्ध  
अर्थात् निकैदाशा दिनांक 30/4/12 तक इस  
आशय की जारी की जाती है कि विवादित खतर  
नम्बर 53, 54, 55, 119, 122, 114  
0.28, 0.20, 0.08, 0.27, 0.28, 0.13  
115, 40, 41 ग्राम विस्वोरी तहसील बथाना  
0.11, 0.21 एवं 0.21 में प्रप्यगण के 5/6 हिस्से के उपयोग, उपभोग में  
किसी प्रकार से मदारबलत व मजाहमत न करें।  
किसी को रहन बय व मुक्तकिल न करें। इस  
अज्ञात बावत कोई उप हो तो नियत दिनांक को  
न्यायालय हाजा में उपस्थित होंगे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर जरिये  
नोटिस तालब करें। पतावली दिनांक 30/4/12  
को पेश हो।

उपस्थित अधिकारी  
बथाना (भरतपुर)

1304/12

नौदारी अधिकारी

पतावली पूर्ववत् दि

175

420

प.स.जी.को./प.स.डी.एच. बथाना

रीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

21/11/21 पीठासीन अधिकारी .....  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/11/21 को पेश हो

15

रीडर

एस0डी03ओ0/एस0डी0एम0 बयाना

30/11/21 पीठासीन अधिकारी पीठार कार्यालय  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/11/21 को पेश हो

Ca

रीडर

एस0डी03ओ0/एस0डी0एम0 बयाना

प्रमाण जोय के लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट

पीठासीन अधिकारी ..... है

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/11/22 को पेश हो

Signature

रीडर

एस0डी03ओ0/एस0डी0एम0 बयाना

10/11/22 प्रमाण पेश हुआ। 1250 ग्रामों व 500 ग्रामों  
को न्यायालय हाजिर कर 2 चाकड़ लगाई  
गई। कोई भी उपाय नहीं है। अलग  
प्रमाण प्रमाणित 1250 ग्रामों व 500  
ग्रामों की अदर हाजिर अदर प्रेषित के  
स्वादिन दिनांक जान है। प्रमाण प्रमाण  
होकर न्याय से कर है। साठिक समूह है।

Signature  
उपखण्ड अधिकारी  
बयान (भरतपुर)